

उपस्थिति :-

- (1). श्री रणवीर प्रसाद  
आई0ए0एस0  
आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली। ..... अध्यक्ष ।
- (2). श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह  
आई0ए0एस0  
जिलाधिकारी, बरेली। ..... सदस्य ।
- (3). श्री वी0के0सोनकिया  
उप परिवहन आयुक्त  
(परिक्षेत्र), बरेली। ..... सदस्य ।
- (4). डॉ0अनिल कुमार गुप्ता  
सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बरेली। ..... सचिव ।

\*\*\*\*\*

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक दिनांक 04.10.2019 का कार्यवृत्त।

संकल्प संख्या - 01 - सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.07.2019 की अनुपालन आख्या।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक दिनांक 23.07.2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण अवलोकित किया गया।

1. अवलोकित।
4. अवलोकित।
5. अवलोकित।
6. अवलोकित।
7. अवलोकित।
9. अवलोकित।

संकल्प संख्या - 02

- (क). मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-68(5) के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से 20.09.2019 तक जारी परमिटों का अवलोकन।

अवलोकित।

### संकल्प संख्या - 3

मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-81 के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी सवारी गाड़ी के स्थाई परमिटों के नवीनीकरण के अवलोकन पर विचार।

अवलोकित।

### संकल्प संख्या - 4

यात्री/माल वाहनों के अनुज्ञापत्रों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने पर विचार।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण बरेली की बैठक दिनांक 26.02.2019 में प्राधिकरण द्वारा गहन विचारोपरान्त पाया गया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-192(क) एवं धारा-86(1) की कार्यवाही स्वतन्त्र कार्यवाहियों हैं अतः धारा-192(क) के तहत कार्यवाही स्वतन्त्र रूप से करते हुए पूर्ण करायी जाये। इनमें ऐसे प्रकरण भी हो सकते हैं जिनके वाहन स्वामियों द्वारा-192(क) के तहत शमन शुल्क जमा किया गया हो परन्तु उनके द्वारा की गयी अनियमितता के परिणाम स्वरूप परमिट निरस्त किया जाना आवश्यक हो।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में तालिका - 'क' के अन्तर्गत केवल उन वाहनों के चालानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनको माननीय न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशमित कराकर देय प्रशमन शुल्क जमा करा लिया गया है तथा तालिका - 'ख' के अन्तर्गत उन वाहनों के चालानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाहन स्वामी द्वारा वाद को माननीय न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रशमित नहीं कराया गया है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा तालिका - 'क' के क्रम संख्या 01 से 35 तक उपस्थित वाहन स्वामियों को सुना गया जिसमें क्रम संख्या - 01 पर उपस्थित वाहन संख्या यूपी-24टी/3701 के वाहन स्वामी श्री विकारूल हसन पुत्र श्री आले हसन निवासी वार्ड नं0-11 अलापुर पट्टी बदायूँ द्वारा अपने वाहन के परमिट को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्रम संख्या - 02 से क्रम संख्या 35 तक पर प्रस्तुत प्रकरणों पर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वाहन स्वामियों को भविष्य में ओवरलोडिंग न किये जाने की चेतावनी देते हुए निर्णय लिया गया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा देय प्रशमन शुल्क जमा किया जा चुका है उनके परमिटों को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86(1) की कार्यवाही से मुक्त किया जाये।

तालिका - 'ख' के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों पर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपस्थित सभी वाहन स्वामियों पर निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये :-

### तालिका - 'ख'

क्रम सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या/ वैधता	परमिट का वर्ग	चालानी प्राधिकारी/ चालान की तिथि	अभियोग	प्राधिकरण का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1.	यूपी-25सीटी/2041	2017/1256 15.06.2022	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर 02.07.2019	1. वाहन में ओवरलोड माल लदा हुआ है, जो परमिट शर्तों के विरुद्ध है।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
2.	यूपी-25डीटी/1348	2018/1288 13.12.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 26.04.2019	1. वाहन में 31 टन माल ओवरलोड है। 2. वैध डी0एल0प्रस्तुत नहीं किया। 3. रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। 4. कर जमा का प्रमाण नहीं दिया।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
3.	यूपी-25बीटी/0716	2016/1319 25.08.2021	जनभार वाहन	थानाध्यक्ष पुलभट्टा ऊधमसिंहनगर 13.07.2019	1. चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन में 04 फिट बाड़ी से ऊपर लकड़ी लाद कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पाया गया।	भविष्य में ओवरलोड संचालन न किये जाने की चेतावनी दी गयी।

4.	यूपी-25सीटी/4874	2019/117 23.01.2024	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 08.04.2019	1. वाहन में 10 टन माल ओवरलोड है। 2. द्वितीय ड्राइवर नहीं है। 3. डी0एल0नहीं दिखाया। 4. प्रेशर हार्न का प्रयोग कर रहे हैं।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
5.	यूपी-27एटी/3018	2018/755 06.07.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 04.04.2019	1. वाहन में 26 टन माल ओवरलोड है। 2. द्वितीय ड्राइवर नहीं है। 3. आर0सी0, एफ0सी0 तथा वाहन का परमिट नहीं दिखाया। 4. कर जमा का प्रमाण नहीं दिखाया। 5. प्रेशर हार्न का प्रयोग कर रहे हैं।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
6.	यूपी-25बीटी/8992	2016/962 02.06.2021	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 28.04.2019	1. वाहन में 35 टन माल ओवरलोड है। 2. डी0एल0प्रस्तुत नहीं किया। 3. रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। 4. एफ0सी0, आर0पी0 प्रस्तुत नहीं किया। 5. वैध बीमा प्रस्तुत नहीं किया, कर जमा एवं पी0यू0सी0 प्रमाण नहीं है।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
7.	यूपी-27टी/3031	2018/664 21.03.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर। 01.08.2019	1. वाहन में ओवरहाइट माल भर कर चला रहे हैं, जो कि परमिट शर्तों के विरुद्ध है। 2. खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।	भविष्य में ओवरलोड संचालन न किये जाने की चेतावनी दी गयी।
8.	यूपी-25डीटी/0119	2018/1037 09.10.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर। 24.12.2018	1. वाहन का चालान धारा- 184 एम0वी0एक्ट (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) में किया जो, जो परमिट शर्तों के विरुद्ध है।	भविष्य में ओवरलोड संचालन न किये जाने की चेतावनी दी गयी।
9.	यूपी-25सीटी/6706	2018/305 01.04.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 02.04.2019	1. वाहन में 17 टन माल ओवरलोड है। 2. द्वितीय ड्राइवर नहीं है। 3. डी0एल0प्रस्तुत नहीं किया। 4. प्रेशर हार्न का प्रयोग कर रहे हैं।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
10.	यूपी-25सीटी/0099	2018/140 11.01.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 26.04.2019	1. वाहन में 16 टन ओवरलोड अधिभार है। 2. वैध डी0एल0प्रस्तुत नहीं किया। 3. रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। 4. फिटनेस प्रमाण नहीं दिया।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।

					<p>5. रोड परमिट प्रस्तुत नहीं किया।  6. कर जमा का प्रमाण नहीं दिया।  7. प्रदूषण प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।  8. वैध बीमा प्रस्तुत नहीं किया।</p>	
11.	यूपी-25बीटी/9810	2016/1606 13.10.2021	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 07.04.2019	<p>1. वाहन में 35 टन ओवरलोड अधिभार है।  2. वैध डी0एल0प्रस्तुत नहीं किया।  3. प्रेशर हार्न का प्रयोग कर रहे हैं।</p>	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
12.	डीएल-1पीसी/7503	2014/3584 18.11.2019	सबारी गाड़ी (बस)	स0सं0प0अ0(प्रव0) रामपुर। 17.05.2019	<p>1. परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए।  2. प्रेशर हार्न का प्रयोग कर रहे हैं।</p>	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
13.	यूपी-25बीटी/3715	2018/540 12.12.2023	जनभार वाहन	प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, हल्द्वानी 21.05.2019	<p>1. एम0वी0एक्ट की धारा 66/192/113/194 के अन्तर्गत चालान किया गया।  2. ओवरलोड सीमेन्ट ढोते हुए पाया गया।</p>	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
14.	यूपी-26टी/0445	2017/2904 06.12.2022	जनभार वाहन	प्रभारी सिटी पेट्रोल यूनिट, हल्द्वानी 26.05.2019	<p>1. मौके पर क्षमता से 27 टन अधिक भार है।  2. डी0एल0 व आर0सी0 फोटो कापी है।</p>	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
15.	यूपी-26टी/4483	2018/1104 23.10.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर। 02.07.2019	<p>1. वाहन में ओवरलोड माल लदा हुआ है, जो कि परमिट शर्तों के विरुद्ध है।</p>	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया।
16.	यूपी-25डीटी/3456	2019/425 29.04.2024	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर। 17.06.2019	<p>1. वाहन में निर्धारित क्षमता से 03 कुन्तल रेता अधिक लदा है।  2. वाहन की बाडी मानको को पूर्ण नहीं कर रही है।  3. चालक वाहन को तेजी से चला रहा है।</p>	भविष्य में ओवरलोड संचालन न किये जाने की चेतावनी दी गयी।

संकल्प संख्या - 05 माननीय राज्य परिवहन अपीलीय (न्यायाधिकरण), उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अपील संख्या 12, 13 एवं 14/2019 पर लिये गये निर्णय पर विचार।

अवलोकित।

संकल्प संख्या - 06 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा - 86 के अन्तर्गत निरस्त किये गये परमितों के परमित धारकों को उनके वाहनों के प्रति नये परमित जारी किये जाने पर विचार।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक दिनांक 23.07.2019 के संकल्प संख्या - 04 में प्राधिकरण द्वारा सम्युक्त विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :-

“प्राधिकरण द्वारा सम्युक्त विचारोपरान्त सभी अनुज्ञापत्रों को निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया कि इन वाहनों को पुनः नये परमित दिये जाने पर विचार प्राधिकरण की बैठक में ही किया जायेगा।”

उपरोक्त बैठक में तालिका - 'ख' में 94 परमित निरस्त किये गये थे जिनमें से अनुपूरक कार्यसूची को सम्मिलित करते हुए 39 वाहन स्वामियों द्वारा पुनः नया परमित प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित आवेदकों को सुना गया तथा सम्युक्त विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.07.2019 में निरस्त किये गये सभी परमितों के अनुज्ञापत्रधारियों को नये परमित जारी किये जायें।

संकल्प संख्या - 07 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-81 के अन्तर्गत स्थायी सबारी गाड़ी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-83 के अन्तर्गत वाहन के प्रतिस्थापन पर विचार।

प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-81 के अन्तर्गत मार्ग बिशारतगंज-सिरौली, बिशारतगंज-बरेली वाया चाढ़पुर पर स्वीकृत/जारी परमितों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों तथा मार्ग बदायूँ-ऑवला-भंमोरा-बरेली, बरेली से शाहबाद वाया भंमोरा-ऑवला-वजीरगंज-रामनगर-सिरौली के परमित संख्या UP/25/101/PVTR/2016/20 वैधता 14.02.2021 पर दूसरी उच्च माडल की वाहन प्रतिस्थापन किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया।

सन्दर्भित मार्गों पर परमितों के नवीनीकरण तथा वाहन के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, बरेली के सेवा प्रवन्धक द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की 05 न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 17.10.1985 को आदर्श ट्रेवल्स बस सर्विस एवं अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य एवं दिनांक 14.01.2002 को

के0एस0आर0टी0सी0 बनाम अशरफ उल्ला खान एवं अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया (कार्यसूची के साथ संलग्न) तथा अनुज्ञापत्रधारियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज सक्सेना द्वारा याचिका संख्या 55222/04 श्री करतार सिंह व 30 अन्य बनाम उ0प्र0स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बरेली व तीन अन्य एवं याचिका संख्या 55221/04 श्री महफूज रफी व 12 अन्य बनाम यू0पी0स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व तीन अन्य के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश वैध होने सम्बन्धी प्रार्थना की गयी परन्तु प्राधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि सन्दर्भित मार्गों की उपरोक्त याचिकाओं के सम्बन्ध में विधिक राय लिया जाना सुनिश्चित करें।

### संकल्प संख्या - 08

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा तीर्थाकर महावीर यूनीवर्सिटी को प्राइवेट सर्विस व्हीकिल के अन्तर्गत जारी परमितों पर संचालित बसों का बरेली सम्भाग में संचालन किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा-88(1) मोटरयान अधिनियम 1988 परमित प्रतिहस्ताक्षर किये जाने सम्बन्धी प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।

प्रबन्धक, तीर्थाकर महावीर यूनीवर्सिटी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा पत्र दिनांक 15.07.2019 पर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वाहन संख्या यूपी-21सीएन/5672 को जारी परमित को अन्तर्गत धारा - 88(1) मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत बरेली सम्भाग के बरेली जनपद में फतेहगंज पश्चिमी तक बस संख्या यूपी-21सीएन/5672 के संचालन हेतु परमित संख्या UP/21/PSV/PSV/20119/163 प्रतिहस्ताक्षर किये जाने की सहमति दी गयी।

### संकल्प संख्या - 09 सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बरेली में प्राप्त निम्नलिखित प्रत्यावेदनों पर विचार ।

क्रमांक	आदेश/प्रत्यावेदन एवं पत्र संख्या	विषय
1	2	3
1.	आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली से प्राप्त श्री सुजीत गुप्ता (सी0ई0ओ0), आदर्श मोटर्स, स्वराज भवन दातागंज तिराही, बरेली रोड बदायूँ का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2019	श्री सुजीत गुप्ता (सी0ई0ओ0), आदर्श मोटर्स द्वारा 13 एल0पी0जी0चालित टी0वी0एस0 आटोरिक्शा तथा प्राधिकरण की बैठक के दौरान माधवा डीलर्स, बदायूँ की ओर से श्री संजय द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें 08 एल0पी0जी0चालित आटोरिक्शा का विवरण प्रस्तुत किया गया है, पर सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.02.2019 के पूर्व बिक्रीत एल0पी0जी0चालित आटोरिक्शा के पंजीयन तथा परमित जारी किये जाने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये।



2.	आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली से प्राप्त बरेली ट्रक ओनर्स ट्रांसपाटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि0), बरेली (उ0प्र0) का ज्ञापन दिनांक 21.08.2019 तथा पत्र दिनांक 11.09.2019	क्रम संख्या 2, 3, 4 एवं 5 पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में सभी वाहन स्वामियों द्वारा दिनांक 23.07.2019 की बैठक में निलम्बित/निरस्त किये गये अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वाहन स्वामियों द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रार्थना की गई कि उनके द्वारा धारा-86 मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत किया गया यह प्रथम अपराध है तथा वह लिखित अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि यह अपराध वह फिर कभी नहीं करेंगे। चूँकि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.07.2019 में यह तथ्य प्राधिकरण के सामने नहीं लाया गया था कि उनका यह प्रथम अपराध है। अतः उन्हें पुनः सुनते हुए तथा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 06 माह के लिए निलम्बित परमितों की निलम्बन की अवधि को घटाकर 03 माह कर दिया जाये। क्रम संख्या 2, 3, 4 व 5 में प्रस्तुत वाहन स्वामियों/अनुज्ञापत्रधारियों के प्रार्थना पत्रों जिसके अनुज्ञापत्रों को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.07.2019 में निरस्त किया गया था, के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय संकल्प संख्या -06 में इसी बैठक में लिया जा चुका है।
3.	माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार का पत्र दिनांक 11.08.2019 जो आयुक्त, बरेली मण्डल बरेली के माध्यम से प्राप्त हुआ है।	
4.	आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली से प्राप्त श्रीमती शबनम पत्नी श्री उसमान रजा खान का प्रत्यावेदन दिनांक 24.09.2019	
5.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री दानिश जमाल पुत्र स्व0श्री जमाल अख्तर परमित संख्या - 13518, 233, 585 एवं 2488</li> <li>2. श्री सरताज खान पुत्र श्री वाहिद खान परमित संख्या - 2508</li> <li>3. श्री सौरभ पाराशरी पुत्र श्री वेदराम शर्मा परमित संख्या - 765</li> <li>4. श्री नेटवर्क कॉप प्रो0नैनजीत सिंह सोबती परमित संख्या - 3075</li> <li>5. श्री राम किशन शुक्ला पुत्र स्व0श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला परमित संख्या - 05</li> <li>6. श्रीमती भवनीत कौर पत्नी श्री सर्वजोत सिंह परमित संख्या - 1611</li> </ol>	

	<p>7. श्री सय्यद साहबत साबरी पुत्र श्री सय्यद मुर्शरत अली परमिट संख्या - 262</p> <p>8. श्रीमती नरेन्द्र कौर पत्नी श्री प्रभजोत सिंह परमिट संख्या - 1741</p> <p>9. श्री नईम खन पुत्र स्व0श्री जलील खान परमिट संख्या - 273</p> <p>10. एस0आर0अर्बन प्रोजेक्टस प्रो0 श्री सिमरन प्रीत सिंह परमिट संख्या - 2933</p> <p>11. विश्नु ट्रेडर्स प्रो0 श्री पवन दीप सिंह परमिट संख्या - 1992 एवं 2993</p> <p>12. श्री मुदित चड्डा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार चड्डा परमिट संख्या - 1219</p> <p>13. अर्जुन ट्रेडर्स प्रो0 श्री नवनीत कुमार सक्सेना परमिट संख्या - 425 के विभिन्न तिथियों के प्रार्थना पत्र जो कार्यालय में दिनांक 06.09.2019 को प्रस्तुत किये गये हैं।</p> <p>14. श्री मोहम्मद जाविर पुत्र श्री मोहम्मद रियासत परमिट संख्या - 2611 प्रत्यावेदन दिनांक - 19.9.19</p> <p>15. श्री मनोज गुप्ता पुत्र श्री भगवान दास गुप्ता परमिट संख्या - 507 प्रत्यावेदन दिनांक - 19.09.19</p>	
6.	माननीय पं0राधा कृष्ण शर्मा, विधायक, 114 बिल्सी जिला बदायूँ का पत्र संख्या 121/एम.एल.ए./2019-20 दिनांक 28.09.2019	अवलोकित।

**संकल्प संख्या - 10**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु विचारणीय नहीं है।

( वीकेसोनकिया )  
उप परिवहन आयुक्त  
(परिक्षेत्र), बरेली।  
सदस्य।

( वीरेन्द्र कुमार सिंह )  
आईएएस  
जिलाधिकारी, बरेली।  
सदस्य।

( रणवीर प्रसाद )  
आईएएस  
आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली  
अध्यक्ष।